



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 558]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अगस्त 10, 2018/श्रावण 19, 1940

No. 558]

NEW DELHI, FRIDAY, AUGUST 10, 2018/SHRAVANA 19, 1940

## पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

### अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 अगस्त, 2018

**सा.का.नि. 762(अ).**—पेट्रोलियम (संशोधन) नियम, 2017 का एक प्रारूप पेट्रोलियम अधिनियम, 1934 (1934 का 30) की धारा 29 की उपधारा (2) और उपधारा (3) की अपेक्षानुसार भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उपखंड (i) तारीख 2 नवंबर, 2017 में भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 1363 (अ), तारीख 2 नवंबर, 2017 के साथ प्रकाशित किया गया था, जिसमें उन सभी व्यक्तियों से जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है उस तारीख से जिसको जनता को अधिसूचना उपलब्ध करा दी गई थी, पैंतालिस दिन के अवसान से पूर्व आक्षेप और सुझाव मांगे गए थे;

और उक्त अधिसूचना जनता को 2 नवंबर, 2017 को उपलब्ध करा दी गई थी;

और उक्त प्रारूप नियमों के संबंध में जनता से प्राप्त आक्षेपों और सुझावों पर केन्द्रीय सरकार द्वारा सम्यक रूप से विचार किया गया। अतः अब केन्द्रीय सरकार पेट्रोलियम अधिनियम, 1934 (1934 का 30) की धारा 4, 5, 14, 21, 22 और धारा 29 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पेट्रोलियम नियम, 2002 को और संशोधित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है अर्थात्:-

1. इन नियमों का संक्षिप्त नाम पेट्रोलियम (संशोधन) नियम, 2018 है।

2. पेट्रोलियम नियम, 2002 में,—

(1) नियम 2 में, उपनियम (1) में,—

(क) खंड (xix) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“(xixक) “सुग्राह्य सेवा केंद्र” से दूढ़ नींव पर अच्छी इंजीनियरी पद्धतियों के अनुसार मोटर यानों में ईंधन भरने के लिए विनिर्दिष्ट रूप से तैयार एकल परिसर अभिप्रेत है और जो भूमि के ऊपर दोहरी दीवार वाले पेट्रोलियम भंडारण टैंक से मिलकर बना है, जिसे वितरण प्रणाली और प्रसुविधाओं के

साथ एकीकृत किया गया है, जिसे एक बंद आधान में रखा गया है और जो मुख्य नियंत्रक द्वारा अनुमोदित किस्म का है तथा परिसर को नियंत्रक द्वारा अनुज्ञप्त किया गया है ;”;

(ख) खंड (xxi) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

“(xxi) “मान्यताप्राप्त परीक्षण प्रयोगशाला” से ऐसी प्रयोगशाला अभिप्रेत है, जो किसी परिसंकटमय क्षेत्र में उपयोग के लिए आशयित वैद्युत उपस्कर के लिए मानकों की अनुरूपता का निर्धारण करने के लिए सभी अपेक्षित परीक्षण सुविधाओं से सुसज्जित है, जिसे परीक्षण और अंशाकन प्रयोगशालाओं के लिए राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड द्वारा सम्यकतः प्रत्यायित किया गया है और मुख्य विस्फोटक नियंत्रक द्वारा अनुमोदित किया गया है ;”;

(2) नियम 4 के उपनियम (2) में, “एक हजार रुपए” शब्दों के स्थान पर “पहली अनुसूची के भाग ग में यथाविनिर्दिष्ट” शब्द और अक्षर रखे जाएंगे ;

(3) नियम 5 के उपनियम (1) में, “सामग्री” शब्द के पश्चात् “और परीक्षण, जो आईएस : 2552, आईएस : 513, आईएस : 1783 के अनुरूप” शब्द, अक्षर और अंक अंतःस्थापित किए जाएंगे ;

(4) नियम 9 में “सार्वजनिक” शब्द के स्थान पर पश्चात् “भूमि” शब्द रखा जाएगा ।

(5) नियम 13 में,--

(क) उपनियम (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम रखा जाएगा, अर्थात् :--

“(1) इन नियमों के अधीन मुख्य नियंत्रक या नियंत्रक को संदेय सभी फीसों का संदाय मुख्य विस्फोटक नियंत्रक के पक्ष में आहरित किसी राष्ट्रीयकृत या अनुसूचित बैंक के क्रास किए गए नागपुर में संदेय बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से या ई-संदाय के माध्यम से किया जाएगा”;

(ख) उपनियम (2) में,--

(i) “राष्ट्रीयकृत” शब्द के पश्चात् “या अनुसूचित” शब्द अंतःस्थापित किया जाएगा ;

(ii) “प्रत्येक मामले में एक सौ रुपए तक की फीस संबद्ध नियंत्रक के कार्यालय में भी नकद सम्मिलित की जा सकेगी” शब्दों का लोप किया जाएगा ;

(6) नियम 16 में,--

(क) उपनियम (4) में, खंड (घ) में “दो हजार रुपए की” शब्दों के स्थान पर “जैसा कि पहली अनुसूची के भाग ग में यथा विनिर्दिष्ट” शब्द और अक्षर रखे जाएंगे ;

(ख) उपनियम (5) के पश्चात् निम्नलिखित उपनियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

“(6) वहां पर (i) सूर्यास्त से सूर्य उदय के बीच प्रचालन को सुकर बनाने के लिए पर्याप्त वैद्युत प्रकाश होगा ; और (ii) वैद्युत सज्जा और अन्य वैद्युत उपस्कर या साधित्र ऐसे परिसंकटमय क्षेत्र के लिए उपयुक्त होंगे और वह अध्याय 4 के उपबंधों का अनुपालन करेंगे ।”;

(7) नियम 43 के खंड (ड) में, “जलयान” शब्द के पश्चात् “स्थोरा के रूप में प्रपुंज में पेट्रोलियम के वहन के लिए उपयोग किया गया” शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे ;

(8) नियम 44 में,--

(क) उपनियम (2) के खंड (घ) में, “दो हजार रुपए की” शब्दों के स्थान पर “जैसा कि पहली अनुसूची के भाग ग में यथा विनिर्दिष्ट” शब्द और अक्षर रखे जाएंगे ;

(ख) उपनियम (5) के पश्चात् निम्नलिखित उपनियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

“(6) वहां पर (i) सूर्यास्त से सूर्योदय के बीच प्रचालन को सुकर बनाने के लिए पर्याप्त वैद्युत प्रकाश होगा ; और (ii) वैद्युत सज्जा और अन्य वैद्युत उपस्कर या साधित्र ऐसे परिसंकटमय क्षेत्र के लिए उपयुक्त होंगे और वह अध्याय 4 के उपबंधों का अनुपालन करेंगे ।”;

(9) नियम 63 में, उपनियम (2) में,--

(i) खंड (i) में “पांच सौ रुपए” दोनों स्थानों पर, जहां वे आते हैं, के स्थान पर “जैसा कि पहली अनुसूची के भाग ग में यथा विनिर्दिष्ट” शब्द और अक्षर रखे जाएंगे ;

(ii) खंड (ii) में “पांच सौ रुपए” के स्थान पर “जैसा कि पहली अनुसूची के भाग ग में यथा विनिर्दिष्ट” शब्द और अक्षर रखे जाएंगे ;

(10) नियम 72 में, “10 किलोग्राम” अंक और शब्द के स्थान पर “न्यूनतम् 9 किलोग्राम” अंक और शब्द रखे जाएंगे ;

(11) नियम 89 के उपनियम (2) के खंड (ii) में, “पांच सौ रुपए की” अंकों और शब्दों के स्थान पर “जैसा कि पहली अनुसूची के भाग ग में यथा विनिर्दिष्ट” शब्द और अक्षर रखे जाएंगे ;

(12) नियम 97 के उपनियम (2) के खंड (ख) में, “पांच रुपए की” अंकों और शब्दों के स्थान पर “जैसा कि पहली अनुसूची के भाग ग में यथा विनिर्दिष्ट” शब्द और अक्षर रखे जाएंगे ;

(13) नियम 101 में, “तथा तार द्वारा मुख्य नियंत्रक को उसके तार पते अर्थात् ‘विस्फोटक नागपुर’” शब्दों का लोप किया जाएगा ;

(14) नियम 106 में,--

(क) उपनियम (1) में, परंतुक में, “और आंतरिक रूप से सुरक्षित सर्किट के संयोजन में” शब्दों के स्थान पर “आईएस/आईईसी 60079-11 या अन्य समतुल्य स्वीकृत अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप” शब्द, अक्षर और अंक रखे जाएंगे ;

(ख) उपनियम (2) में, खंड (i) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :--

“(i) एक लपटरोधी या दावानुकूलित किस्म का या पाउडर से भरा हुआ या तेल में डूबा हुआ या जटिल रूप से सुरक्षित या संपुटीभवनकृत साधित्र, जो आईएस/आईईसी 60079-1, आईएस/आईईसी 60079-2, आईएस/आईईसी 60079-5, आईएस/आईईसी 60079-6, आईएस/आईईसी 60079-11, आईएस/आईईसी 60079-18 के अनुरूप हो और कोई अन्य समतुल्य मानक, जिसका मुख्य नियंत्रक द्वारा लिखित में अनुमोदन किया गया हो ; या”;

(ग) उपनियम (3) में खंड (i) और खंड (ii) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखे जाएंगे, अर्थात् :--

“(i) आईएस/आईईसी 60079-7 या आईएस/आईईसी 60079-15 के अनुरूप बड़ी हुई सुरक्षा किस्म या ऐसा साधित्र, जिससे चिंगारियां नहीं निकलती है और ऐसी किस्म का, जिसका मुख्य नियंत्रक द्वारा लिखित में अनुमोदन किया गया हो ; या

(ii) मुख्य नियंत्रक द्वारा लिखित में अनुमोदित अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप वैद्युत प्रतिरोध ट्रेस ताप प्रणाली ; या

(iii) उपनियम (2) के अधीन अनुज्ञात किसी भी किस्म का कोई साधित्र।”;

(घ) उपनियम (4) में,--

(i) खंड (i) में,--

(क) “निकायों” शब्द के स्थान पर “परीक्षण प्रयोगशाला” शब्द रखे जाएंगे ;

(ख) “संघटकों” शब्द के पश्चात् “के साथ नियोजित तकनीकी व्यक्ति, विनिर्माण और क्वालिटी नियंत्रण उपस्करों या उपकरणों के व्यौरों” शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे ;

(ii) खंड (ii) में,--

(क) “पांच सौ रुपए की” शब्दों के स्थान पर, “पहली अनुसूची के भाग ग में यथा विनिर्दिष्ट” शब्द रखे जाएंगे ;

(ख) टिप्पणियों का लोप किया जाएगा ;

(15) नियम 107 के उपनियम (2) में,—

(क) खंड (i) में, “अनुमोदित” शब्द का लोप किया जाएगा ;

(ख) खंड (ii) में, “अनुमोदित” शब्द का लोप किया जाएगा ;

(ग) खंड (iv) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :—

“(iv) सभी जोड़ों और टर्मिनेशनों पर लपटरोधी किस्म के ग्लांड्स के साथ संयोजन में एकल या अनेक तारों वाले खनिज रोधी केबल”।

(16) नियम 111 में,—

(क) उपनियम (1) में, “ऐसे परीक्षण और ऐसी जांच के पश्चात् और ऐसे उपयोग के लिए जिन्हें वह विनिर्दिष्ट करे” शब्दों का लोप किया जाएगा ;

(ख) उपनियम (3) में, “ऐसी रीति में और ऐसी शर्तों के अधीन, जैसा मुख्य नियंत्रक विनिर्दिष्ट करे” शब्दों के स्थान पर, “किसी अनुमोदित किस्म के प्लग और साकेट के माध्यम से” शब्द रखे जाएंगे ;

(17) नियम 122 में, “मुख्य नियंत्रक” शब्दों के स्थान पर “मुख्य नियंत्रक या नियंत्रक” शब्द रखे जाएंगे ;

(18) नियम 124 के उपनियम (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम रखा जाएगा, अर्थात् :—

“(1) कूप शीर्ष टैंक से भिन्न प्रपुंज में पेट्रोलियम के भंडारण के लिए प्रत्येक टैंक का निर्माण इस्पात या फाइबर से पुनः दृढ़ किए गए प्लास्टिक या आईएस : 803 या आईएस : 10987 या एपीआई : 650 या के अनुरूप अन्य समुचित सामग्री से या मुख्य नियंत्रक द्वारा लिखित में स्वीकृत किसी अन्य कूट या विशिष्टियों के अनुसार किया जाएगा ।”;

(19) नियम 126 में,—

(क) उपनियम (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम रखे जाएंगे, अर्थात् :—

“(1) कूप शीर्ष टैंकों से भिन्न प्रपुंज में पेट्रोलियम के भंडारण के लिए भंडारण टैंक या अन्य पात्र को प्रतिष्ठापित करने और अंतिम स्थिति में उनको रखने के पश्चात् या उनका पुनः प्रतिष्ठापन या अन्य मुख्य मरम्मत करने के पश्चात् पुनः उपयोग में लाने से पूर्व उनकी टैंक संनिर्माण कूप में विनिर्दिष्ट जल दाब या सक्षम व्यक्ति की विनिर्दिष्टियों के अनुसार जांच की जाएगी ।

(1अ) जांच और प्रमाणीकरण के लिए फीस वह होगी, जो पहली अनुसूची के भाग ख में विनिर्दिष्ट है ।”

(ख) उपनियम (3) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम रखे जाएंगे, अर्थात् :—

“(3) उपनियम (1) के अधीन यथा अपेक्षित जांच करने वाला सक्षम व्यक्ति पेट्रोलियम और विस्फोटक सुरक्षा संगठन की आनलाइन प्रणाली के माध्यम से एक प्रमाणपत्र जारी करेगा ।

(4) आवेदक इस प्रकार जारी प्रमाणपत्र की हस्ताक्षरित प्रति अनुज्ञापक प्राधिकारी को, यथास्थिति, किसी अनुज्ञप्ति को अनुदत्त करने या उसमें संशोधन करने के लिए किसी प्रमुख मरम्मत की दशा में प्रत्येक ऐसी मरम्मत के पश्चात् आवेदन के साथ प्रस्तुत करेगा ।”;

(20) नियम 130 में,—

(क) उपनियम (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम रखे जाएंगे, अर्थात् :—

“(1) इन नियमों के अधीन निरीक्षण करने वाला सक्षम व्यक्ति पेट्रोलियम और विस्फोटक सुरक्षा संगठन की आनलाइन प्रणाली के माध्यम से नीचे दिए गए प्ररूप में एक प्रमाणपत्र जारी करेगा ।

(1 क) आवेदक इस प्रकार जारी प्रमाणपत्र की एक हस्ताक्षरित प्रति किसी प्रतिष्ठापन या किसी सेवा केंद्र में पहली बार पेट्रोलियम का भंडारण करने से पूर्व या जब भी संवेष्टक दीवारों और भराव में जब भी कोई वर्धन किया जाता है या किसी टैंक की मरम्मत की जाती है या प्रतिष्ठापित किया जाता है या उसकी स्थिति में परिवर्तन किया जाता है, अनुज्ञापक प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगा।

(1 ख) जांच और प्रमाणीकरण के लिए फीस वह होगी, जो पहली अनुसूची के भाग ख में विनिर्दिष्ट है।”।

(ख) सुरक्षा प्रमाणपत्र प्ररूप के स्थान पर निम्नलिखित प्ररूप रखा जाएगा, अर्थात् :-

**“प्ररूप**

**सुरक्षा प्रमाणपत्र**

[दिखें नियम 130]

मैं, ..... एतद्वारा प्रमाणित करता हूं कि नीचे वर्णित पेट्रोलियम सेवा केंद्र/ प्रतिष्ठापन का ..... (तारीख) को निरीक्षण कर लिया है और उसका संनिर्माण मुख्य नियंत्रक/ नियंत्रक द्वारा पत्र संख्या ..... तारीख ..... को अनुमोदित योजना के अनुसार किया गया है तथा मेरी राय में सेवा केंद्र/ प्रतिष्ठापन पेट्रोलियम के भंडारण के लिए सुरक्षित है।

1. अधिभोगी का नाम और पता .....
2. सेवा केंद्र/ प्रतिष्ठापन की अवस्थिति .....
- (प्लॉट संख्या, ग्राम/कस्बा/जिला, राज्य)
3. सेवा केंद्र/ प्रतिष्ठापन में प्रसुविधाओं का विवरण .....

(I) टैंकों का विवरण

(क) भूमि से ऊपर टैंक

- (i) पहचान सं. ....
- (ii) फेब्रिकेशन कूट या विशिष्टि .....
- (iii) आकार (व्यास x ऊंचाई) .....
- (iv) एम<sup>3</sup> या केएल में क्षमता .....
- (v) उत्पाद का नाम .....
- (vi) पेट्रोलियम का वर्ग .....
- (vii) क्या संवेष्टन दीवारें उपलब्ध कराई गई है। यदि हां, तो संवेष्टक दीवारों की प्रकृति, उनकी क्षमता, ड्रेन पाइप और वाल्व का उपबंध .....
- (viii) उपलब्ध कराई गई सज्जाओं की प्रकृति और विवरण..... अर्थात् भराव/डिप/वेंट/सक्शन पाइप, लेवल/तापमान मापी गेज और अन्य सज्जाएं

(ख) भूमिगत टैंक

- (i) पहचान सं. ....
- (ii) फेब्रिकेशन कूट या विशिष्टि .....
- (iii) आकार (व्यास x ऊंचाई) .....
- (iv) एम<sup>3</sup> या केएल में क्षमता .....
- (v) उत्पाद का नाम .....
- (vi) पेट्रोलियम का वर्ग .....

- (vii) गर्त, ऊपरी कवर जोड़ने के लिए प्रबंध (क्या मिट्टी/पुनः दृढ़ किए गए सीमेंट, कंक्रीट का है) की प्रकृति .....
- (viii) उपलब्ध कराई गई सज्जाओं की प्रकृति और विवरण ..... अर्थात् भराव/डिप/वेंट/सक्शन पाइप, लेबल/तापमान/तापमान मापी गेज और अन्य सज्जाएं
- (II) फिलिंग या भंडारण शेड (क्या अनुमोदित योजना के अनुसार निर्माण किया गया है) .....
- (III) टैंक लारी या टैंक वैगन भराई या उतराई
- (i) उपलब्ध कराई गई वे और बिन्दुओं की संख्या .....
- (ii) भराई और उतराई प्रसुविधाओं की किस्म .....
- (IV) पाइपलाइन
- (i) पाइपलाइनों का आकार और विशिष्टि
- (ii) पाइपलाइन का केजी/सीएम2 में जांच दबाव .....  
(..... को ..... द्वारा जांच की गई)
- (V) वैद्युत सज्जा या उपस्कर (प्रत्येक के लिए विशिष्टि, मेक और मुख्य विस्फोटक नियंत्रक की अनुमोदन संख्या को उपदर्शित करते हुए)
- (i) मोटर .....
- (ii) स्टार्टर .....
- (iii) जंक्शन बॉक्स .....
- (iv) स्विच .....
- (v) प्रकाश सज्जा .....
- (vi) अन्य .....
- (VI) अर्थिंग, बान्डिंग और वैद्युत सतता
- (i) टैंकों, मोटरों, प्रपुंज लदाई /उतराई प्रसुविधाओं की अर्थिंग .....
- (ii) पाइप लाइन जोड़ों की बान्डिंग .....
- (iii) प्रत्येक बिन्दु पर अर्थिंग रजिस्टेंस .....
- (VII) उपलब्ध कराई गई बाड़/सीमा दीवार की प्रकृति .....
- (VIII) उपलब्ध कराई गई अग्नि शमन प्रसुविधाओं का विवरण .....

#### 4. टिप्पणियां (यदि कोई हों)

स्थान : .....

प्रमाणपत्र जारी करने वाले सक्षम व्यक्ति के पूरे  
हस्ताक्षर .....

तारीख .....

नाम और डाक का पता .....

मुख्य नियंत्रक द्वारा मान्यता की विशिष्टियां

(2)(i) कोई व्यक्ति, जो सक्षम व्यक्ति के रूप में मान्यता का आशय रखता है, के पास प्ररूप 20 के पैरा (क) में विहित अर्हता और अनुभव होगा और वह मुख्य नियंत्रक को उसी प्ररूप के पैरा (ख) में विनिर्दिष्ट प्ररूप में आवेदन प्रस्तुत करेगा। प्रत्येक आवेदन के साथ पहली अनुसूची के भाग (ग) में यथा विनिर्दिष्ट संवीक्षा फीस संलग्न होगी।

मुख्य नियंत्रक-

(क) ऐसे आवेदन को रजिस्टर करेगा; और

(ख) आवेदन की प्राप्ति की तारीख के साठ दिन की अवधि के भीतर और स्वयं का सक्षमता और व्यावसायिक नैतिकता के संबंध में समाधान हो जाने के पश्चात् या तो वह आवेदक को सक्षम व्यक्ति के रूप में मान्यता देगा या इसके लिए कारणों को विनिर्दिष्ट करते हुए आवेदन को अस्वीकार कर देगा;

(ii) मुख्य नियंत्रक सक्षम व्यक्ति को सुने जाने का अवसर देने के पश्चात् मान्यता का प्रतिसंहरण कर सकेगा—

(क) यदि उसके पास यह विश्वास करने का कारण है कि ऐसे व्यक्ति ने मान्यता के पत्र में उपदर्शित किसी निबंधन का उल्लंघन किया है या उसने जांच, परीक्षण और निरीक्षण नहीं किया है या उसने ऐसी रीति में कार्य किया है, जो इन नियमों के प्रयोजन के आशय से असंगत है; या

(ख) किसी अन्य कारण से, जिसे लेखबद्ध किया जा सके।”;

(21) नियम 131 के उपनियम (1) के खंड (ख) में, “चार सौ रुपए की” शब्दों के स्थान पर, “पहली अनुसूची के भाग (ग) में यथा विनिर्दिष्ट” शब्द और अक्षर रखे जाएंगे ;

(22) नियम 140 के खंड (ii) में, “पांच सौ रुपए की” शब्दों के स्थान पर, “पहली अनुसूची के भाग (ग) में यथा विनिर्दिष्ट” शब्द और अक्षर रखे जाएंगे ;

(23) नियम 142 के उपनियम (1) में, “या प्ररूप 17” शब्द और अंक का लोप किया जाएगा ;

(24) नियम 144 के उपनियम (1) में,—

(i) “ऐसा प्रमाणपत्र” शब्दों के पश्चात् “उपनियम (7) में विनिर्दिष्ट प्रारूप में” शब्द, कोष्ठक और अक्षर अंतःस्थापित किए जाएंगे ;

(ii) उपनियम (1) के पश्चात् निम्नलिखित टिप्पण अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

“टिप्पण—अनुज्ञापक प्राधिकारी अनुज्ञप्ति अनुदत्त करने पर विचार करने के लिए अनापत्ति प्रमाणपत्र जारी करने की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के भीतर अनापत्ति प्रमाणपत्र को स्वीकार करेगा।”;

(iii) उपनियम (6) के पश्चात् निम्नलिखित उपनियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

“(7) जिला प्राधिकारी निम्नलिखित प्ररूप में अनापत्ति प्रमाणपत्र जारी करेगा :--

### प्ररूप

### अनापत्ति प्रमाण पत्र

[नियम 144 देखें]

सं.....

तारीख.....

विषय: अनापत्ति प्रमाण-पत्र

..... द्वारा प्रस्तुत तारीख.....के आवेदन सं..... के संदर्भ में और पेट्रोलियम नियम 2002 के नियम 144 के अनुसरण में, पेट्रोलियम नियम 2002 के अधीन श्री/श्रीमती/सुश्री \_\_\_\_\_ पता..... को उनके परिसर में सर्वेक्षण सं...../गेट नं...../खसरा नं.....प्लॉट नं ....., ग्राम ..... तालुका / तहसील -..... जिला ..... राज्य..... जैसा कि इस साइट प्लान में दिखाया गया है जो यहां सम्यक् रूप से पृष्ठांकित और संलग्न है, में पेट्रोलियम उत्पादों के भंडारण के लिए अनुज्ञप्ति प्रदान करने पर कोई आपत्ति नहीं है।

1. इस अनापत्ति प्रमाण-पत्र को जारी करते समय निम्नलिखित विशिष्टियों पर / विचार किया गया है, अर्थात् :-

- (क) पेट्रोलियम उत्पादों के भंडारण के लिए इन नियमों के अधीन परिसर का विकास करने के लिए भू-स्वामी या पट्टेदार से प्राधिकार सहित आवेदक द्वारा स्थल पर विधिमान्य कब्जा ;
- (ख) लोक, विशेष रूप से ऑफ-साइट जैसी सुविधाओं, विद्यालयों, अस्पतालों या सार्वजनिक सभा के आसपास स्थित स्थलों और उपशमन उपाय, यदि कोई हो, प्रदान किए गए हैं ;
- (ग) यातायात घनत्व और यातायात पर प्रभाव;
- (घ) स्थानीय या क्षेत्र विकास योजना के अनुरूप प्रस्ताव ;
- (ङ.) आपातकालीन मामलों में आग लगने पर स्थल तक पहुंच और आपातकालीन मामलों से निपटने के लिए अग्निशमन सेवाओं की तैयारी ;
- (च) उद्देश्य की वास्तविकता
- (छ) सार्वजनिक सुरक्षा से संबंधित अन्य कोई मामला।

कार्यालय की मुहर सहित अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी करने वाले जिला प्राधिकारी के हस्ताक्षर (शहर, जिसमें पुलिस आयुक्त, आयुक्त या पुलिस उपायुक्त हों, वहां वे और अन्य किसी भी जगह पर जिला मजिस्ट्रेट)

"टिप्पण- अनुज्ञप्ति प्राधिकारी अनुज्ञप्ति जारी करने पर विचार करने के लिए इसके जारी होने की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के भीतर अनापत्ति प्रमाण-पत्र स्वीकार करेगा।";

- (25) नियम 147, में उप-नियम (2) में, "पांच सौ रुपए" शब्दों के स्थान पर, "प्रथम अनुसूची के भाग ग में यथाविनिर्दिष्ट" शब्द और अक्षर रखे जाएंगे ;
- (26) नियम 148 में, -
  - (i) उप-नियम (2) में, "प्ररूप 3, प्ररूप 11 या प्ररूप 17" शब्दों और अंकों के स्थान पर "प्ररूप 3 या प्ररूप 11" शब्द और अंक रखे जाएंगे ;
  - (ii) उप-नियम (7) के पश्चात्, निम्नलिखित उप-नियम अंतःस्थपित किए जाएंगे, अर्थात् :-
    - "(8) यदि लाइसेंसिंग प्राधिकरण द्वारा लाइसेंस नवीकरण के लिए आवेदन उसके समाप्त होने की तारीख के एक वर्ष के पश्चात् प्राप्त किया जाता है, तो किसी लाइसेंस का नवीकरण नहीं किया जाएगा।
    - (9) लाइसेंस की समाप्ति के एक वर्ष के पश्चात्, जिला प्राधिकारी से अनापत्ति प्रमाण-पत्र सहित नए लाइसेंस के लिए आवश्यक सभी दस्तावेज लाइसेंस प्राधिकारी को प्रस्तुत किए जाएंगे।";
- (27) नियम 149 में, परंतुक में, "युक्तियुक्त अवसर" शब्द के स्थान पर, "एक अवसर" शब्द रखे जाएंगे ;
- (28) नियम 151 में, परंतुक में, "उचित अवसर" शब्द के स्थान पर, "एक अवसर" शब्द रखे जाएंगे ;
- (29) नियम 154 में, उप-नियम (3) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-नियम रखा जाएगा, अर्थात् :-
  - "(3) प्रत्येक अपील लिखित रूप में होगी और इसके साथ आदेश की एक प्रति होगी, जिसके विरुद्ध अपील की गई है, नियम 13 में विनिर्दिष्ट रीति से एक हजार रुपए की फीस के संदाय के साथ और पारित किए गए आदेश के साठ दिनों के भीतर प्रस्तुत की जाएगी।";
- (30) नियम 156 में, उप-नियम (2) में, खंड (iv) में, "पांच सौ रुपये" शब्दों के स्थान पर "जैसा कि पहली अनुसूची के भाग ग में यथाविनिर्दिष्ट" शब्द और अक्षर रखे जाएंगे ;
- (31) नियम 157 में, उप-नियम (3) में, "दो सौ रुपये" शब्द के स्थान पर, "प्रथम अनुसूची के भाग ग में यथाविनिर्दिष्ट" शब्द और अक्षर रखे जाएंगे ;
- (32) नियम 158 में, शब्द "दो सौ रुपये" के स्थान पर, "प्रथम अनुसूची के भाग ग में यथाविनिर्दिष्ट" शब्द और अक्षर रखे जाएंगे ;



- (33) नियम 159 में, उप-नियम (2) में, खंड (क) में, "पचास रुपये" शब्दों के स्थान पर, "प्रथम अनुसूची के भाग ग में यथाविनिर्दिष्ट" शब्द और अक्षर रखे जाएंगे ;
- (34) नियम 162 में, उप-नियम (3) में, खंड (ii) में, "पांच हजार रुपए" शब्द के स्थान पर, "प्रथम अनुसूची के भाग ग में यथाविनिर्दिष्ट" शब्द और अक्षर रखे जाएंगे ;
- (35) नियम 164 में, उप-नियम (2) में, खंड (ii) में, "एक हजार रुपए" शब्दों के स्थान पर "प्रथम अनुसूची के भाग ग में यथाविनिर्दिष्ट" शब्द और अक्षर रखे जाएंगे ;
- (36) नियम 195 में, उप-नियम (2) में, "दो सौ रुपये" शब्दों के स्थान पर, "प्रथम अनुसूची के भाग ग में यथाविनिर्दिष्ट" शब्द और अक्षर रखे जाएंगे ;
- (37) नियम 196 में, -
- (i) उप-नियम (1) में, "एक सौ रुपए" शब्द के स्थान पर "प्रथम अनुसूची के भाग ग में यथाविनिर्दिष्ट" शब्द और अक्षर रखे जाएंगे ;
- (ii) उप-नियम (2) के स्थान पर, निम्नलिखित उपनियम रखा जाएगा, अर्थात्: -
- "(2) निजी स्वामित्व वाले परीक्षण उपकरण की तुलना मानक परीक्षण उपकरण के साथ करने की फीस निम्नानुसार होगी :-

(रुपए में)

टेस्ट उपकरण	1500
बैरोमीटर	1000
थर्मामीटर	1000"

- (38) नियम 197 में उप-नियम (1) में, "पांच सौ" शब्दों के स्थान पर, "एक हजार" शब्द रखे जाएंगे;
- (39) नियम 200 में, उप-नियम (1) में, खंड (क) में, "और इसके बाद तार द्वारा भी [तार का पता- 'विस्फोटक नागपुर']" शब्दों और कोष्ठकों का लोप किया जाएगा ;
- (40) पहली अनुसूची के स्थान पर, निम्नलिखित अनुसूची रखी जाएगी, अर्थात्:-

**"पहली अनुसूची"****भाग क**

अनुच्छेद	अनुज्ञप्ति का प्ररूप	प्रयोजन जिसके लिए मंजूरी दी गई	अनुज्ञप्ति प्रदान करने के लिए सशक्त प्राधिकारी	फीस	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
1	3	पानी द्वारा पेट्रोलियम को बल्क में ले जाना	केंद्रीय सरकार द्वारा नियुक्त अधिकारी	(1) जहाज या अन्य पोत जिनका सकल टन भार 100 टन भार से अधिक न हो। (2) प्रत्येक अतिरिक्त 50 टन सकल टन भार या इसके भाग के लिए।	(1) जारी होने की तारीख से एक वर्ष या उसके भाग की अवधि के लिए 15000 रुपए। (2) 5000 रुपए
2	11	यंत्र चालित वाहन पर जमीनी मार्ग द्वारा पेट्रोलियम ले जाने के लिए	मुख्य नियंत्रक द्वारा इसके लिए अधिकृत नियंत्रक	प्रत्येक वर्ष के लिए 2000 रुपए जिसकी गणना लाइसेंस प्रदान करने की तारीख या उसके भाग की तारीख से 365 दिन के रूप में की जाती है।	
3	12	300 लीटर से अधिक मात्रा में पेट्रोलियम वर्ग क का आयात करना और भंडारण करना	जिला प्राधिकारी	प्रत्येक कैलेंडर वर्ष या इसके भाग के लिए 1000 रुपए	

4	13	बल्क मात्रा, जो 25000 लीटर से अधिक न हो, के अलावा पेट्रोलियम वर्ग ख का आयात और भंडारण	जिला प्राधिकारी	एक कैलेंडर वर्ष के लिए प्रत्येक 1000 लीटर या उसके भाग के लिए 1000 रुपए।
5	14	मोटर वाहनों में ईंधन भरने के लिए पंप आउटफिट के साथ टैंक या टैंकों में पेट्रोलियम का भंडारण करने के लिए	मुख्य नियंत्रक द्वारा इसके लिए प्राधिकृत नियंत्रक	पेट्रोलियम की प्रत्येक वर्ग के लिए पहले 50 किलो लीटर के लिए 5000 रुपए तथा प्रत्येक अतिरिक्त किलो लीटर या उसके भाग के लिए 50 रुपए, प्रत्येक कैलेंडर वर्ष या उसके भाग के लिए अधिकतम 50,000 रुपए।
6	15	किसी संस्थापन में पेट्रोलियम के आयात और भंडारण के लिए	मुख्य नियंत्रक या मुख्य नियंत्रक द्वारा इसके लिए प्राधिकृत नियंत्रक	पेट्रोलियम की प्रत्येक वर्ग के लिए पहले 50 किलो लीटर के लिए 5000 रुपए तथा प्रत्येक अतिरिक्त किलो लीटर या उसके भाग के लिए 50 रुपए, प्रत्येक कैलेंडर वर्ष या उसके भाग के लिए अधिकतम 50,000 रुपए।
7	16	बल्क के अलावा आयात और भंडारण करने के लिए; (क) पेट्रोलियम वर्ग क जिसकी मात्रा 300 लीटर से अधिक हो (ख) पेट्रोलियम वर्ग ख जिसकी मात्रा 25000 लीटर से अधिक हो (ग) पेट्रोलियम वर्ग ग जिसकी मात्रा 45000 लीटर से अधिक हो (घ) आंशिक रूप से एक वर्ग और आंशिक रूप से पेट्रोलियम के दो वर्गों	मुख्य नियंत्रक द्वारा इसके लिए प्राधिकृत नियंत्रक	पेट्रोलियम की प्रत्येक वर्ग के लिए पहले 50 किलो लीटर के लिए 5000 रुपए तथा प्रत्येक अतिरिक्त किलो लीटर या उसके भाग के लिए 50 रुपए, प्रत्येक कैलेंडर वर्ष या उसके भाग के लिए अधिकतम 50,000 रुपए।
8	विशेष प्ररूप	अनुच्छेद 3,4,5,6 और 7 में प्रदान न की गई पेट्रोलियम श्रेणी का आयात और भंडारण करना	मुख्य नियंत्रक द्वारा इसके लिए प्राधिकृत नियंत्रक	पेट्रोलियम की प्रत्येक वर्ग के लिए पहले 50 किलो लीटर के लिए 5000 रुपए तथा प्रत्येक अतिरिक्त किलो लीटर या उसके भाग के लिए 50 रुपए, प्रत्येक कैलेंडर वर्ष या उसके भाग के लिए अधिकतम 50,000 रुपए।
9	18	क़िरोसिन निकालना (कंटेनरों में यांत्रिक रूप से चालित वाहन से पेट्रोलियम वर्ग ख)	मुख्य नियंत्रक द्वारा इसके लिए प्राधिकृत नियंत्रक	प्रत्येक कैलेंडर वर्ष या उसके भाग के लिए 1000 रुपए
10	19	पेट्रोलियम वर्ग क या ख थोक में यांत्रिक रूप से चालित वाहन द्वारा विमान, भारी वाहन / मशीनरी और स्थिर उपकरणों में साइट पर ही परिवहन के लिए ईंधन भरना अर्थात्, रिफ्यूलर	मुख्य नियंत्रक या मुख्य नियंत्रक द्वारा इसके लिए प्राधिकृत नियंत्रक	प्रत्येक कैलेंडर वर्ष या उसके भाग के लिए 2000 रुपए

### भाग ख

निरीक्षण, परीक्षण और प्रमाणन के लिए सक्षम व्यक्तियों को देय शुल्क

क्र.सं.	अनुज्ञप्ति प्ररूप	उद्देश्य	शुल्क रुपए में
1	11	प्ररूप 7 भाग ख	1000
2	11	तीसरी अनुसूची के अधीन टैंक का परीक्षण	1000
3	19	प्ररूप 8 भाग 2	1000
4	19	तीसरी अनुसूची के अधीन टैंक का परीक्षण	1000
5	14	नियम 126 के अधीन प्रत्येक भूमिगत टैंक का परीक्षण	1000
		नियम 130 के अधीन प्रत्येक पेट्रोलियम सर्विस स्टेशन / उपभोक्ता पम्प	3000

6	15	नियम 126 के अधीन (i) प्रत्येक भूमिगत टैंक के लिए (ii) 1000 कि.ली. तक की क्षमता वाले जमीन के ऊपर निर्मित प्रत्येक टैंक के लिए (iii) 5000 कि.ली. तक की क्षमता वाले जमीन के ऊपर निर्मित प्रत्येक टैंक के लिए (iv) 10000 कि.ली. से अधिक की क्षमता वाले जमीन के ऊपर निर्मित प्रत्येक टैंक के लिए	1000 3000 4000 5000
7	15	नियम 130 के अधीन (i) प्रत्येक पेट्रोलियम संस्थापन के लिए, जहां केवल एक भूमिगत टैंक हो। (ii) प्रत्येक पेट्रोलियम संस्थापन के लिए, जहां जमीन के ऊपर/ भूमिगत टैंक की पेट्रोलियम भंडारण की कुल क्षमता 1000 कि.ली. तक हो। (iii) प्रत्येक पेट्रोलियम संस्थापन के लिए, जहां जमीन के ऊपर/ भूमिगत टैंक की पेट्रोलियम भंडारण की कुल क्षमता 5000 कि.ली. तक हो। (iv) प्रत्येक पेट्रोलियम संस्थापन के लिए, जहां जमीन के ऊपर/ भूमिगत टैंक की पेट्रोलियम भंडारण की कुल क्षमता 5000 कि.ली. से अधिक हो।	3000 5000 10,000 15,000

## भाग ग

## अनुज्ञप्ति फीस से भिन्न फीस

क्र.सं.	मद	शुल्क (रु.)	नियम
1	पेट्रोलियम वर्ग क या वर्ग ख के लिए कंटेनर के अनुमोदन के लिए	5000	4(2)
2	बंदरगाह जहां पेट्रोलियम का आयात किया जा सकता है	10000	16(4)(iii)(घ)
3	किसी भी स्थान पर किसी भी जहाज / नाव से थोक पेट्रोलियम की लदाई और उतराई के लिए	6000	44 (2) (घ)
4	(i) टैंक यान या रिफ्यूलर या सुरक्षा फिटिंग फैब्रिकेशन दुकान का अनुमोदन (ii) तीन वर्ष के लिए फैब्रिकेशन दुकान का नवीकरण (iii) टैंक माउंटिंग ड्राइंगों के लिए अनुमोदन (iv) टैंक यान या रिफ्यूलर की सुरक्षा फिटिंग की डिजाइन के लिए अनुमोदन	1500 1500 1000 2000	63(2)
5	पाइपलाइन की परिकल्पना और मार्ग का अनुमोदन	5000	89(2)(ii)
6	पाइपलाइन में अतिरिक्त निर्माण और बदलाव	2000	97(2)(ख)
7	खतरनाक क्षेत्र में उपयोग के लिए इलेक्ट्रिक उपकरण	2000	106(4)
8	सक्षम व्यक्ति की पहचान	5000	130(2)(i)
9	परिसर की योजनाओं और विनिर्देशों का पूर्व अनुमोदन	2000	131 (1) (ख)
10	पेट्रोलियम वर्ग ग के भंडारण की पूर्व रिपोर्ट के लिए संवीक्षा फीस	2000	140(ii)
11	अतिरिक्त निर्माण और परिवर्तन के लिए पूर्व अनुमोदन	2000	146(2)(ii)
12	अनुज्ञप्ति का संशोधन	2000	147 (2)
13	अनुज्ञप्ति का अंतरण	2000	156 (2) (iv)
14	अवसान न हुए मूल अनुज्ञप्ति के भाग के लिए नई अनुज्ञप्ति	1000	157 (3)
15	अनुज्ञप्ति की दूसरी प्रति	1000	158
16	अनुज्ञप्ति की अधिप्रमाणित प्रति	500	159 (2) क
17	रिफाइनरी का अनुमोदन	15000	162 (3) (ii)
18	रिफाइनरी में संशोधन	5000	164 (2) (ii)

19	प्ररूप 6 में परीक्षणों का प्रमाण पत्र	2000	195(2)
20	निरीक्षण और तुलना के लिए फीस - (1) जांच उपकरण (2) किसी निजी स्वामित्व वाले परीक्षण उपकरण की मानक परीक्षण उपकरण के साथ तुलना निम्नानुसार होगी; टेस्ट उपकरण बैरोमीटर थर्मामीटर	1000 1500 1000 1000	196
21	पेट्रोलियम के प्रत्येक नमूने का परीक्षण करना	1000	197

(41) दूसरी अनुसूची में, -

(क) प्ररूप 11 में, शर्त 15 में, "और तार द्वारा भी मुख्य नियंत्रक (तार का पता "विस्फोटक नागपुर")" शब्द और कोष्ठक का लोप किया जाएगा;

(ख) प्ररूप 12 में, शर्त 14 में, "और तार या टेलीफोन द्वारा भी, जहां संचार के ऐसे साधन उपलब्ध हैं। [तार का पता "विस्फोटक, नागपुर"]" शब्दों और कोष्ठकों, का लोप किया जाएगा;

(ग) प्ररूप 13 में, शर्त 13 में, "और तार द्वारा भी मुख्य नियंत्रक [तार का पता: 'विस्फोटक नागपुर'] शब्दों और कोष्ठकों का लोप किया जाएगा;

(घ) प्ररूप 14 में, -

(i) शर्त 21 में, "गैस सिलिंडर नियम, 1981" शब्द और अंकों, दोनों जगहों पर, जहां वे आते हैं, "गैस सिलिंडर नियम, 2016" शब्द और अंक रखे जाएंगे ;

(ii) शर्त 22 में, "और तार द्वारा भी मुख्य नियंत्रक (तार का पता: 'विस्फोटक नागपुर') शब्दों और कोष्ठकों का लोप किया जाएगा;

(iii) शर्त 23 के पश्चात्, निम्नलिखित शर्तों को अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -

"24. पोर्टेबल सर्विस स्टेशन के लिए विशेष परिस्थितियां: - (1) जमीन के ऊपर निर्मित पेट्रोलियम भंडारण टैंक विभाजन सहित या विभाजन के बिना दोहरी दीवार वाला होगा।

(2) टैंक या कंटेनर के परिमाण से अधिक भरने, इसमें अधिक दबाव बनने, असुरक्षित या प्रतिकूल स्थिति को रोकने के लिए टैंक में माप और सुरक्षा युक्ति अंतर्निहित होनी चाहिए।

(3) सभी विद्युत उपकरण आईएस / आईईसी 60079 या मुख्य नियंत्रक द्वारा अनुमोदित किसी भी अन्य कोड के अनुसार होंगे और इन्हें नियमों के अध्याय IV के उपबंधों के अनुसार स्थापित किया जाएगा या रखरखाव किया जाएगा।

(4) ऐसे सर्विस स्टेशनों में स्थापित विद्युत उपकरण के स्थान का अनुमोदन मुख्य नियंत्रक से अलग से प्राप्त किया जाएगा।

(5) जमीन के ऊपर टैंक भराई बिंदु तक टैंक यान अनलोडिंग बिंदु से कठोर- भूमिगत पाइपलाइन प्रदान की जाएगी।

(6) कंटेनर को सभी ओर से बाहरी प्रभाव से क्लैश बैरियर द्वारा संरक्षित किया जाएगा।

(7) टैंक वाहनयान की उतराई के दौरान कोई वितरण नहीं किया जाएगा।

## (8) निम्नलिखित सुरक्षा दूरी बनाए रखी जाएगी, अर्थात्: -

से / तक	पेट्रोलियम वर्ग क या वर्ग क और ख दोनों के लिए भंडारण टैंक	पेट्रोलियम वर्ग ख के लिए भंडारण टैंक	पेट्रोलियम वर्ग क या वर्ग क और ख दोनों के लिए टैंक यान उतराई बिंदु	पेट्रोलियम वर्ग ख के लिए टैंक यान उतराई बिंदु	पेट्रोलियम श्रेणी क या वर्ग क और ख दोनों के लिए टैंक यान उतराई क्षेत्र	पेट्रोलियम श्रेणी ख के लिए टैंक यान उतराई क्षेत्र	चारदीवारी / बाड़	
	1	2	3	4	5	6	7	
1	पेट्रोलियम वर्ग क या श्रेणी क और ख दोनों के लिए भंडारण टैंक	6 मीटर	6 मीटर	9 मीटर	9 मीटर	9 मीटर	9 मीटर	9 मीटर
2	पेट्रोलियम वर्ग ख के लिए भंडारण टैंक	6 मीटर	6 मीटर	9 मीटर	4.5m	9 मीटर	4.5 मीटर	6 मीटर
3	पेट्रोलियम वर्ग क या वर्ग क और ख दोनों के लिए टैंक यान उतराई क्षेत्र	9 मीटर	9 मीटर	X	X	9 मीटर	9 मीटर	9 मीटर
4	पेट्रोलियम वर्ग ख के लिए टैंक यान उतराई क्षेत्र	9 मीटर	4.5 मीटर	X	X	9 मीटर	4.5 मीटर	4.5 मीटर
5	टैंक वाहन पेट्रोलियम वर्ग क या वर्ग क और ख दोनों के लिए उतराई क्षेत्र	9 मीटर	9 मीटर	X	X	X	X	9 मीटर
6	पेट्रोलियम वर्ग ख के लिए टैंक यान उतराई क्षेत्र	9 मीटर	4.5 मीटर	X	X	X	X	4.5 मीटर
7	चारदीवारी / बाड़	9 मीटर	6 मीटर	9 मीटर	4.5 मीटर	9 मीटर	4.5 मीटर	X

टिप्पण: 1. पोर्टेबल सर्विस स्टेशन से दूरी को कंटेनर के छोर से गिना जाएगा।

टिप्पण: 2. उतराई प्लेटफार्म से दूरी उसके केंद्र से गिनी जाएगी।

टिप्पण: 3. भंडारण टैंक से अभिप्राय जमीन से ऊपर निर्मित दोहरी दीवार वाले पोर्टेबल सर्विस स्टेशन के पेट्रोलियम भंडारण टैंक से है।

(ड.) प्ररूप 15 में, -

(अ) सारणी 2 के स्थान पर, निम्नलिखित सारणी को रखा जाएगा, अर्थात्: -

**"सारणी 2****[अनुज्ञप्ति प्ररूप 15 की शर्त 10 (ख) देखें]**

भंडारण टैंक के बीच अंतर दूरी

मद	फ्लोटिंग छत	फिक्स्ड रूप टैंक (श्रेणी क और ख पेट्रोलियम)	श्रेणी ग
50 मीटर तक के व्यास वाले सभी टैंक	(ई + घ) / 4 (न्यूनतम 10 मीटर)	(ई + घ) / 4 (न्यूनतम 10 मीटर)	(ई + घ) / 6 (न्यूनतम 6 मीटर)
50 मीटर से अधिक व्यास वाले सभी टैंक	(ई + घ) / 4	(ई + घ) / 3	(ई + घ) / 4

(आ) शर्त 21 में, "और मुख्य नियंत्रक को तार द्वारा (तार का पता: 'विस्फोटक नागपुर')" शब्दों और कोष्ठकों का लोप किया जाएगा;

(च) प्ररूप 16 में, शर्त 16 में, "और मुख्य नियंत्रक को तार द्वारा भी (तार का पता: 'विस्फोटक नागपुर')" शब्द और कोष्ठक का लोप किया जाएगा;

(छ) "प्ररूप 17" का लोप किया जाएगा;

(ज) प्ररूप 18 में, शर्त 19 में, "और मुख्य नियंत्रक को तार द्वारा भी (तार का पता: 'विस्फोटक नागपुर')" शब्दों और कोष्ठकों का लोप किया जाएगा;

(झ) प्ररूप 19 में, -

(i) शर्त 5(क) में, "लीटर", शब्द के स्थान पर "कि.ग्रा." शब्द रखे जाएंगे ;

(ii) शर्त 16 और 17 का लोप किया जाएगा;

(iii) शर्त 21 में, "और मुख्य नियंत्रक को तार द्वारा भी (तार का पता: 'विस्फोटक नागपुर')" शब्दों और कोष्ठकों का लोप किया जाएगा;

(ज) प्ररूप 20 में, "[नियम 2 (v) और 130 देखें]" कोष्ठकों, शब्दों और अंकों के स्थान पर "[नियम 2 (vi) और 130 देखें]" कोष्ठक, शब्द और अंक रखे जाएंगे ;

(42) तीसरी अनुसूची में, मद संख्या (5) में, प्रविष्टि (6) के पश्चात्, निम्नलिखित प्रविष्टि अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:-

"(7) परीक्षण और प्रमाणीकरण की फीस प्रथम अनुसूची के भाग ख में यथाविनिर्दिष्ट होगी।"

[फा. सं.पी-11021/01/2015-वितरण (भाग.।)]

आशुतोष जिंदल, संयुक्त सचिव (एम)

**टिप्पण :** मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उप-धारा (i), उप-खंड (i) में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 204(अ.), तारीख 13 मार्च, 2002 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और अंतिम संशोधन अधिसूचना सं. सा.का.नि. 857 (अ.), तारीख 1 दिसम्बर, 2011 द्वारा किया गया था।

**MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS****NOTIFICATION**

New Delhi, the 10th August, 2018

**G.S.R. 762(E).**—WHEREAS, a draft of the Petroleum (Amendment) Rules, 2017, was published as required by sub-sections (2) and (3) of section 29 of the Petroleum Act, 1934 (30 of 1934) by notification dated the 2<sup>nd</sup> November, 2017 of the Government of India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas number G.S.R. 1363(E), dated the 2<sup>nd</sup> November, 2017 in the Gazette of India, Extra-ordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), inviting objections or suggestions from all persons likely to be affected thereby before the expiry of forty-five days from the date on which the notification was made available to the public;

AND WHEREAS, the said notification was made available to the public on the 2<sup>nd</sup> November, 2017;

AND WHEREAS, objections and suggestions were received from the public on the said draft rules, have been duly considered by the Central Government;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sections 4,5,14,21,22 and sub-section (1) of section 29 of the Petroleum Act, 1934 (30 of 1934), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Petroleum Rules, 2002, namely:—

**1. (1)** These rules may be called the Petroleum (Amendment) Rules, 2018.

**(2)** They shall come into force on the date of their final publication in the Official Gazette.

**2. In the Petroleum Rules, 2002,-**

**(1)** in rule 2, in sub-rule (1),-

**(a)** after clause (xix), the following clause shall be inserted, namely:-

"(xix)"portable service station" means a standalone premises which is licensed by the Controller, installed on a firm foundation in accordance with the sound engineering practice specially prepared for fuelling of motor vehicles and comprises of an above ground double walled petroleum storage tank integrated with dispensing system and connected facilities housed together in a closed container which is a type approved by the Chief Controller;";

**(b)** after clause (xxi), the following clause shall be inserted, namely:-

"(xxia)"recognised testing laboratory means a laboratory approved by the Chief Controller of Explosives is equipped with all required testing facilities to assess conformity with the standard for electrical equipment intended to be used in hazardous areas, duly accredited by the National Accreditation Board for Testing and Calibration Laboratories;";

**(2)** in rule 4, in sub-rule (2), for the words "of rupees one thousand", the words and letter "as specified in Part C of the First Schedule" shall be substituted;

**(3)** in rule 5, in sub-rule (1), after the word "material", the words, letters and figures "and testing conforming to IS:2552, IS:513, IS: 1783" shall be inserted;

**(4)** in rule 9, for the word "public", the word " land," shall be substituted;

**(5)** in rule 13,-

**(a)** for sub-rule (1), the following sub-rule shall be substituted, namely:-

"(1) All fees payable under these rules to the Chief Controller or Controller shall be paid by a crossed bank draft of a nationalised or scheduled bank drawn in favour of the Chief Controller of Explosives, payable at Nagpur or through e-payment.";

**(b)** in sub-rule (2),-

**(i)** after the word "nationalised", the word "or scheduled" shall be inserted;

**(ii)** the words, "Fees upto rupees one hundred in each case may be paid in cash at the office of the Controller concerned." shall be omitted;

(6) in rule 16,-

(a) in sub-rule (4), in clause (d), for the words “of rupees two thousand”, the words and letter “as specified in Part C of the First Schedule” shall be substituted;

(b) after sub-rule (5), the following sub-rule shall be inserted, namely:-

“(6) There shall be-

(i) adequate electric lighting to facilitate operation during the hours between sunset and sunrise; and  
(ii) light fittings and other electrical equipments or apparatus suitable for such hazardous area which shall comply with the provisions of Chapter IV.”;

(7) in rule 43A, in clause (e), after the word “vessel”, the words “used for the carriage of petroleum in bulk as a cargo” shall be inserted;

(8) in rule 44,-

(a) in sub-rule (2), in clause (d), for the words, “ of rupees two thousand”, the words and letter “as specified in Part C of the First Schedule” shall be substituted;

(b) after sub-rule (5), the following sub-rule shall be inserted, namely:-

“(6) There shall be-

(i) adequate electric lighting to facilitate operation during the hours between sunset and sunrise; and  
(ii) light fittings and other electrical equipments or apparatus suitable for such hazardous area which shall comply with the provisions contained in Chapter IV.”;

(9) in rule 63, in sub-rule (2),-

(i) in clause (i), for the words “of rupees five hundred” occurring at both the places where they occur, the words and letter, “as specified in Part C of the First Schedule” shall be substituted;

(ii) in clause (ii), for the words “of rupees one hundred”, the words and letter “as specified in Part C of the First Schedule” shall be substituted;

(10) in rule 72, for the figures and letters "10 kg", the figure and letters "minimum 9 kg" shall be substituted;

(11) in rule 89, in sub-rule (2), in clause (ii), for the words “of rupees five hundred”, the words and letter “as specified in Part C of the First Schedule” shall be substituted;

(12) in rule 97, in sub-rule (2), in clause (b), for the words “of rupees five hundred”, the words and letter “as specified in Part C of the First Schedule” shall be substituted;

(13) in rule 101, the words "and also by telegram at his telegraphic address, namely, "Explosives Nagpur" shall be omitted;

(14) in rule 106,-

(a) in sub-rule (1), in the proviso, for the words “and in connection with an intrinsically safe circuit”, the words, letters and figures “conforming to IS/IEC 60079-11 or other equivalent International Standards accepted” shall be substituted;

(b) in sub-rule (2), for clause (i), the following clause shall be substituted, namely:-

"(i) a flameproof or pressurised type or powder filled or oil immersed or intrinsically safe or encapsulated apparatus conforming to IS/IEC 60079-1, IS/IEC 60079-2, IS/IEC 60079-5, IS/IEC 60079-6, IS/IEC 60079-11, IS/IEC 60079-18 and any other equivalent standard approved in writing by the Chief Controller, or”;

(c) in sub-rule (3), for clauses (i) and (ii), the following clauses shall be substituted, namely:-

“(i) an increased safety type or non-sparking apparatus conforming to IS/IEC 60079-7 or IS/IEC 60079-15 and of a type approved in writing by the Chief Controller; or

(ii) electrical resistance trace heating system conforming to International Standard approved in writing by The Chief Controller; or



(iii) an apparatus of any types permitted under sub-rule (2).”;

(d) in sub-rule (4),-

(i) in clause (i),-

(a) for the word “bodies”, the words “testing laboratory” shall be substituted;

(b) after the word “components”, the words “together with details of technical person employed, manufacturing and quality control equipments or instruments;” shall be inserted;

(ii) in clause (ii),-

(a) for the words “of rupees five hundred”, the words and letter “as specified in Part C of the First Schedule” shall be substituted;

(b) the Notes shall be omitted;

(15) in rule 107, in sub-rule (2),-

(a) in clause (i) the word, “approved” shall be omitted;

(b) in clause (ii) the word, “approved” shall be omitted;

(c) for clause (iv), the following clause shall be substituted, namely:-

“(iv) single or multicored mineral insulated cable in conjunction with flameproof type glands at all joints and terminations”.

(16) in rule 111,-

(a) in sub-rule (1), the words “after such examination and test and for such application as he may specify” shall be omitted;

(b) in sub-rule (3), for the words “in such manner and used under such conditions as the Chief Controller may specify”, the words “through approved type plug and socket” shall be substituted;

(17) in rule 122, for the words “Chief Controller”, the words “Chief Controller or Controller” shall be substituted;

(18) in rule 124, for sub-rule (1), following sub-rule, shall be substituted, namely:-

“(1) Every tank for the storage of petroleum in bulk other than a well-head tank shall be constructed of steel or fiber reinforced plastic or other suitable material in accordance with the standards, IS:803 or IS:10987 or API:650 or any other code or specifications accepted in writing by the Chief Controller.”;

(19) in rule 126,-

(a) for sub-rule (1), the following sub-rules shall be substituted, namely:-

“(1) Storage tank or receptacle for the storage of petroleum in bulk, other than well head tank, after being installed and secured in final position or after undergoing re-installation or any major repair, shall, before being put into use, be tested by water pressure specified in the tank construction code or specifications by a competent person.

(1A) The fee for testing and certification shall be as specified in Part B of the First Schedule.”

(b) for sub-rule (3), the following sub-rules shall be substituted, namely:-

“(3) The competent person carrying out the test as required under sub-rule (1) shall issue a certificate through the online system of Petroleum and Explosives Safety Organisation.

(4) The applicant shall submit the signed copy of the certificate so issued to the licensing authority along with the application for the grant or amendment of a license, or, in the case of any major repair, after each repair.”;

(20) in rule 130,-

(a) for sub-rule (1), the following sub-rules shall be substituted, namely:-

“(1) The competent person carrying out the inspection under these rules shall issue a certificate in the proforma given below through the online system of Petroleum and Explosives Safety Organisation.

(1a) The applicant shall submit the signed copy of the certificate so issued to the licensing authority before any petroleum is stored in an installation or a service station for the first time or whenever any

addition to the enclosure walls and embankments are carried out or when any tank is repaired or installed or its position shifted.

(1b) The fee for inspection and certification shall be as specified in Part B of the First Schedule.”.

(b) for the Certificate of Safety, the following proforma shall be substituted, namely:-

**“Proforma  
Certificate of Safety**

[See rule 130]

I ....., hereby certify that I have inspected the petroleum service station /installation described below on ... ..(date) and it has been constructed in accordance with the plan approved by the Chief Controller /Controller, *vide* letter No. .... dated ..... and the service station/ installation, in my opinion is safe for storage of petroleum.

1. Name and address of occupier.....

2. Location of the service station/installation .....

(Plot No., Village/Town, District, State)

3. Description of facilities in the service station/installation.

(I) Description of tanks:

(A) Above ground tanks;

(i) Identification No.....,

(ii) Fabrication code or specification .....

(iii) Size (Diameter x Height) .....

(iv) Capacity in M<sup>3</sup> or KL .....

(v) Name of product .....

(vi) Class of petroleum .....

(vii) Whether enclosure walls provided. If so, nature of enclosure walls, its capacity, provision of drain pipe and valve .....

(viii) Nature and description of fittings provided, namely, fill point, dip, vent, suction pipes, level, temperature gauges and other fittings.....

(B) Underground tanks:

(i) Identification No. ....,

(ii) Fabrication code or specification .....

(iii) Size (Diameter x Height) .....

(iv) Capacity in M<sup>3</sup> or KL .....

(v) Name of product .....

(vi) Class of petroleum .....

(vii) Nature of pit, top cover (whether soil or reinforced cement concrete), fastening arrangement .....

(viii) Nature and description of fittings provided, namely, fill point, dip, vent, suction pipes, level, temperature gauges and other fittings .....

(II) Filling or storage shed (whether constructed as per approved plan) .....

(III) Tank lorry or tank wagon loading or unloading

(i) Number of bays and points provided .....

(ii) Type of loading and unloading facilities .....

## (IV) Pipelines:

- (i) Size and specification of pipeline(s)
- (ii) Test pressure of pipeline .....kg/cm<sup>2</sup>  
(Tested by .....on .....

## (V) Electrical fittings or equipments (indicating specification, make and Chief Controller of Explosives approval No. for each)

- (i) Motor .....
- (ii) Starters .....
- (iii) Junction Box .....
- (iv) Switches .....
- (v) Light fittings .....
- (vi) Others .....

## (VI) Earthing, bonding and electrical continuity

- (i) Earthing of tanks, motors, bulk loading or unloading facilities .....
- (ii) Bonding of pipeline joints .....
- (iii) Earthing resistance at each point .....

## (VII) Nature of fencing or boundary wall provided.....

## (VIII) Description of fire fighting facilities provided.....

## 4. Remarks (if any)

Place :-----

Full signature of the competent person issuing the certificate

Date:-----

Name and postal address .....

Particulars of recognition by Chief Controller .....

(2) (i) Anybody intending to be recognised as a competent person shall possess the qualification and experience specified in para (A) of Form- XX and shall submit to the Chief Controller an application in the form specified in para (B) of the same form. Every application shall be accompanied by a scrutiny fee as specified in Part C of the First Schedule. The Chief Controller shall-

(a) register such application; and

(b) within a period of sixty days of the date of receipt of the application, and after having satisfied himself with regard to competence and professional ethics either recognise the applicant as a competent person or reject the application specifying the reason therefore;

(ii) The Chief Controller may after giving an opportunity to competent person to be heard revoke the recognition-

(a) if he has reason to believe that such person has violated any condition stipulated in the letter of recognition or has not carried out a test, examination and inspection or has acted, in a manner inconsistent with the intent for the purpose of these rules; or

(b) for any other reason to be recorded in writing.”;

(21) in rule 131, in sub-rule (1), in clause (b), for the words “of rupees four hundred”, the words and letter “as specified in Part C of the First Schedule,” shall be substituted;

(22) in rule 140, in clause (ii), for the words “of rupees five hundred”, the words and letter “as specified in Part C of the First schedule ” shall be substituted;

(23) in rule 142, in sub-rule (1), the words and figure “or Form XVII”, shall be omitted;

(24) in rule 144, in sub-rule (1),-

(i) after the words “such certificate”, the words, brackets and figure “in the proforma specified in sub-rule (7),” shall be inserted;

(ii) after sub-rule (1), the following Note shall be inserted, namely:-

"Note.- The licensing authority shall accept the no objection certificate within a period of three years from the date of its issue for considering grant of licence.";

(iii) after sub-rule (6), the following sub-rule shall be inserted, namely:-

“(7) The district authority shall issue a no objection certificate in the following proforma, namely:-

**Proforma**  
**No Objection Certificate**

[See rule 144]

No.....

Date.....

Subject: No objection certificate

With reference to the application No.....dated .....submitted by.....and in pursuance of rule 144 of the Petroleum Rules, 2002, there is no objection for granting licence under the Petroleum Rules, 2002 to Shri/Smt./M/s. \_\_\_\_\_ address..... for storage of petroleum products in their premises at Survey No...../Gat No...../Khasra No.....Plot No....., Village.....Taluka/Tehsil-.....District.....State.....as shown in the site plan duly endorsed and enclosed herewith.

(1) The following particulars have been considered while issuing this no objection certificate, that-

- (a) possession of the site by the applicant is lawful and authorisation from land owner or lease holder for developing premises under these rules for storage of petroleum products;
- (b) interest of public, specially the facilities like schools, hospitals or proximity to places of public assembly and the mitigating measures, if any, is provided;
- (c) traffic density and impact on traffic;
- (d) conformity of proposal to the local or area development planning;
- (e) accessibility of the site to fire tenders in case of emergency and preparedness of fire services for combating the emergencies;
- (f) genuineness of purpose.
- (g) any other matter pertinent to public safety;

Signature of the district authority issuing no objection certificate with his office seal (in towns having a Commissioner of Police, the Commissioner or a Deputy Commissioner of Police and for any other place the District Magistrate)

Note.- The licensing authority shall accept the no objection certificate within a period of three years from the date of its issue for considering grant of licence.”.

(25) in rule 147, in sub-rule (2), for the words “rupees five hundred”, the words and letter “as specified in Part C of the First Schedule” shall be substituted;

(26) in rule 148,-

(i) in sub-rule (2), for the words and figures “Form III, Form XI or Form XVII”, the words and figures "Form III or Form XI shall be substituted;

(ii) after sub-rule (7), the following sub-rules shall be inserted, namely:-

“(8) No licence shall be renewed if the application for renewal is received by the licensing authority after one year of the date of expiry.

(9) After one year of the expiry of the licence, all the documents required for new licence including no objection certificate from district authority shall be submitted to the licensing authority.";

(27) in rule 149, in the proviso, for the words "a reasonable opportunity", the words "an opportunity" shall be substituted;

(28) in rule 151, in the proviso, for the words "a reasonable opportunity", the words "an opportunity" shall be substituted;

(29) in rule 154, for sub-rule (3), the following sub-rule shall be substituted, namely:-

"(3) Every appeal shall be in writing and shall be accompanied by a copy of the order appealed against, fee of rupees one thousand paid in the manner specified in rule 13 and shall be presented within sixty days of the order passed.";

(30) in rule 156, in sub-rule (2), in clause (iv), for the words "of rupees five hundred" the words and letter "as specified in Part C of the First Schedule and" shall be substituted;

(31) in rule 157, in sub-rule (3), for the words "of rupees two hundred", the words and letter "as specified in Part C of the First Schedule" shall be substituted;

(32) in rule 158, for the words "of rupees two hundred", the words and letter "as specified in Part C of the First Schedule" shall be substituted;

(33) in rule 159, in sub-rule (2), in clause (a), for the words "of rupees fifty", the words and letter "as specified in Part C of the First Schedule" shall be substituted;

(34) in rule 162, in sub-rule (3), in clause (ii), for the words "of rupees five thousand", the words and letter "as specified in Part C of the First Schedule" shall be substituted;

(35) in rule 164, in sub-rule (2), in clause (ii), for the words "of rupees one thousand" the words and letter "as specified in Part C of the First Schedule" shall be substituted;

(36) in rule 195, in sub-rule (2), for the words "of rupees two hundred", the words and letter "as specified in Part C of the First Schedule" shall be substituted;

(37) in rule 196,-

(i) in sub-rule (1), for the words "rupees one hundred" the words and letter "as specified in Part C of the First Schedule" shall be substituted;

(ii) for sub-rule (2), the following sub-rule shall be substituted, namely:-

"(2) The fee for comparing a privately owned test apparatus with the standard test apparatus shall be as follows:-

	(in Rupees)
Test Apparatus	1500
Barometer	1000
Thermometer	1000"

(38) in rule 197, in sub-rule (1), for the words "five hundred", the words "one thousand" shall be substituted;

(39) in rule 200, in sub-rule (1), in clause (a), the words and brackets "and also by telegram

[telegraphic address- 'Explosive Nagpur'] followed" shall be omitted;

(40) for the First Schedule, the following Schedule shall be substituted, namely:-

**"First Schedule****Part A**

Article	Form of licence	Purpose for which granted	Authority empowered to grant licence	Fee	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
1	III	To carry petroleum in bulk by water	An officer appointed by the Central Government	(1) For ships or other vessels not exceeding 100 tonnes gross tonnage.  (2) For every additional 50 tonnes gross tonnage or fraction thereof.	(1) Rs. 15000 for a period of one year or part thereof from the date of issue. (2) Rs. 5000
2	XI	To carry petroleum by land on mechanically propelled vehicle	Controller authorised in this behalf by the Chief Controller	Rs. 2000 for every year counted as 365 days from date of grant of licence or part thereof.	
3	XII	To import and store petroleum class A in quantity not exceeding 300 litres	District Authority	Rs. 1000 for every calendar year or part thereof.	
4	XIII	To import and store petroleum class B otherwise than in bulk in quantity not exceeding 25000 litres	District Authority	Rs. 1000 for every 1000 litres or part thereof for a calendar year.	
5	XIV	To store petroleum in tank or tanks, in connection with pump outfit for fueling motor conveyances.	Controller authorised in this behalf by the Chief Controller	For each class of petroleum Rs. 5000 for the first 50 kilo litres and Rs. 50 for every additional kilo litre or part thereof, for every calendar year subject to a maximum of Rs. 50000 per calendar year or part thereof.	
6	XV	To import and store petroleum in an installation	Chief Controller or a Controller authorised in this behalf by the Chief Controller	For each class of petroleum Rs. 5000 for the first 50 kilo litres and Rs. 50 for every additional kilo litre or part thereof, for every calendar year subject to a maximum of Rs. 50000 per calendar year or part thereof.	
7	XVI	To import and store otherwise than in bulk; (a) petroleum class A in quantities exceeding 300 litres (b) petroleum class B in quantities exceeding 25000 litres (c) petroleum class C in quantities exceeding 45000 litres (d) partly one class and partly two classes of petroleum	Controller authorised in this behalf by the Chief Controller	For each class of petroleum Rs. 5000 for the first 50 kilo litres and Rs. 50 for every additional kilo litre or part thereof, for every calendar year subject to a maximum of Rs. 50000 per calendar year or part thereof.	
8	Special Form	To import and store petroleum class not provided for in articles 3, 4, 5, 6 and 7	Controller authorised in this behalf by the Chief Controller	For each class of petroleum Rs. 5000 for the first 50 kilo litres and Rs. 50 for every additional kilo litre or part thereof, for every calendar year subject	

				to a maximum of Rs. 50000 per calendar year or part thereof.
9	XVIII	To decant kerosene (petroleum class B from mechanically propelled vehicle in containers)	Controller authorised in this behalf by the Chief Controller	Rs. 1000 for every calendar year or part thereof.
10	XIX	To transport petroleum class A or B in bulk on land for on site refuelling of aircrafts, heavy vehicle or machinery and stationary equipments by a mechanically propelled vehicle, namely, Refueller	Controller authorised in this behalf by the Chief Controller	Rs. 2000 for every calendar year or part thereof.

### Part B

Fee payable to competent persons for inspection, testing and certification

Sl. No.	Licence form	Purpose	Fee in Rs.
1	XI	Form VII Part B	1000
2	XI	Testing of tank under third Schedule	1000
3	XIX	Form VIII Part 2	1000
4	XIX	Testing of tank under third Schedule	1000
5	XIV	Under rule 126 testing of each underground tank	1000
		Under rule 130 for each petroleum service station/ consumer Pump	3000
6	XV	Under rule 126- (i) For each underground tank (ii) For each above ground tank of capacity upto 1000 KL (iii) For each above ground tank of capacity upto 5000 KL (iv) For each above ground tank of capacity above 10000 KL	1000 3000 4000 5000
7	XV	Under rule 130- (i) For each petroleum installation having only underground tanks. (ii) For each petroleum installation having above ground or underground tanks where total quantity of petroleum to be stored is up to 1000 KL. (iii) For each petroleum installation having above ground or underground tanks where total quantity of petroleum to be stored is up to 5000 KL. (iv) For each petroleum installation having above ground or underground tanks where total quantity of petroleum to be stored is above 5000 KL.	3,000 5,000 10,000 15,000

**Part C****Fee other than licence fee**

Sl. No.	Items	Fee (Rs.)	Rule
1	For approval of container for petroleum class A or class B	5000	4(2)
2	Ports into which petroleum may be imported	10000	16(4)(d)
3	Loading and unloading of bulk petroleum from any ship/ barge at any place	6000	44(2)(d)
4	(i) Approval of tank vehicle or refueller or safety fitting fabrication shop (ii) Renewal of fabrication shop for three years (iii) Approval of tank mounting drawings (iv) Approval of design of safety fittings of tank vehicle or refueller	1500 1500 1000 2000	63(2)
5	Approval of the design and route of the pipeline	5000	89(2)(ii)
6	Additions and alterations in the pipeline	2000	97(2)(b)
7	Electric apparatus for use in hazardous area	2000	106(4)
8	Recognition of competent person	5000	130(2)(i)
9	Prior approval of specifications and plans of premises	2000	131(1)(b)
10	Scrutiny Fee for prior report of storage of Petroleum Class C	2000	140(ii)
11	Prior approval for addition and alteration	2000	146 (2)(ii)
12	Amendment of licence	2000	147(2)
13	Transfer of licence	2000	156(2)(iv)
14	New licence for unexpired portion of original licence	1000	157(3)
15	Duplicate copy of licence	1000	158
16	Authenticated copy of the licence	500	159(2)(a)
17	Approval of refinery	15000	162(3)(ii)
18	Amendments in refinery	5000	164(2) (ii)
19	Certificate of tests in Form VI	2000	195(2)
20	Fee for inspection and comparison.- (1) Test apparatus (2) Comparing a privately owned test apparatus with the standard test apparatus shall be as follows : Test apparatus Barometer Thermometer	1000 1500 1000 1000	196
21	Testing each sample of petroleum.	1000	197

(41) in the Second Schedule,-

(a) in Form XI, in condition 15, the words and brackets "and also by telegram to the Chief Controller (Telegraphic address "Explosives Nagpur")" shall be omitted;

(b) in Form XII, in condition 14, the words and brackets "and also by telegram or telephone where such means of communication are available. [Telegraphic address

"Explosives, Nagpur"]", shall be omitted;

(c) in Form XIII, in condition 13, the words and brackets "and also by telegram to the Chief Controller [Telegraphic address: 'Explosives Nagpur']" shall be omitted;

(d) in Form XIV,-

(i) in condition 21, for the words and figures "the Gas Cylinder Rules, 1981" at both the places where they occur, the words and figures, "the Gas Cylinder Rules, 2016" shall be substituted;

(ii) in condition 22, the words and brackets "and also by telegram to the Chief Controller (Telegraphic address: 'Explosives Nagpur')" shall be omitted;



(iii) after condition 23, the following conditions shall be inserted, namely:-

"24. Special Conditions for Portable Service Station.- (1) The above ground petroleum storage tank shall be double walled with or without partition.

- (2) The tank shall have in-built measuring and safety devices to prevent overfilling, development of pressure, unsafe or adverse condition in the tank or container.
- (3) All electric apparatus shall be in accordance with IS/IEC 60079 or any other code approved by the Chief Controller and shall be installed and maintained in accordance with the provisions of Chapter IV of the rules.
- (4) The approval of electrical apparatus installed in such service stations shall be obtained separately from the Chief Controller.
- (5) Rigid underground pipeline shall be provided for unloading of petroleum into the tank.
- (6) The container shall be protected from external impact with crash barrier on all sides.
- (7) No dispensing shall be made during unloading of tank vehicle.
- (8) The following safety distances shall be maintained, namely:-

To/ from	Storage tank for petroleum class A or class A and B both	Storage tank for petroleum class B	Tank vehicle unloading point for petroleum class A or class A and B both	Tank vehicle unloading point for petroleum class B	Tank vehicle unloading area for petroleum class A or class A and B both	Tank vehicle unloading area for petroleum class B	Boundary wall/ fencing
	1	2	3	4	5	6	7
1 Storage tank for petroleum class A or class A and B both	6 m	6 m	9 m	9 m	9 m	9 m	9 m
2 Storage tank for petroleum class B	6 m	6 m	9 m	4.5m	9 m	4.5 m	6 m
3 Tank vehicle unloading point for petroleum class A or class A and B both	9 m	9 m	x	x	9 m	9 m	9 m
4 Tank vehicle unloading point for petroleum class B	9 m	4.5 m	x	x	9 m	4.5 m	4.5 m
5 Tank vehicle unloading area for petroleum class A or class A and B both	9 m	9 m	x	x	x	x	9 m
6 Tank vehicle unloading area for petroleum class B	9 m	4.5 m	x	x	x	x	4.5 m
7 Boundary wall/ fencing	9 m	6 m	9 m	4.5 m	9 m	4.5 m	x

Note 1. Distance from the portable service station shall be counted from the edge of the container.

Note 2. Distance from the unloading platform shall be counted from its centre.

Note 3. Storage tank means aboveground double walled petroleum storage tank of portable service station.

(e) in Form XV,-

(A) for Table 2, the following Table shall be substituted, namely:-

**" TABLE 2**

**[See condition 10(b) of licence Form XV]**

Inter distance between storage tanks

Item	Floating roof	Fixed roof tanks (Class A and B petroleum)	Class C
All tanks with diametres upto 50 metres	(D+d)/4 (Minimum 10 metres)	(D+d)/4 (Minimum 10 metres)	(D+d)/6 (Minimum 6 metres)
All tanks with diametres exceeding 50 metres	(D+d)/4	(D+d)/3	(D+d)/4

(B) in condition 21, the words and brackets "and by telegram to the Chief Controller (Telegraphic address: 'Explosives Nagpur')" shall be omitted;

(f) in Form XVI, in condition 16, the words and brackets "and also by telegram to the Chief Controller (Telegraphic address: 'Explosives Nagpur')" shall be omitted;

(g) "Form XVII" shall be omitted;

(h) in Form XVIII, in condition 19, the words and brackets "and also by telegram to the Chief Controller (Telegraphic address: 'Explosives Nagpur')" shall be omitted;

(i) in Form XIX,-

(i) in condition 5(a), for the word, "litres", the word, "kg" shall be substituted;

(ii) conditions 16 and 17 shall be omitted;

(iii) in condition 21, the words and brackets "and also by telegram to the Chief Controller (Telegraphic address: 'Explosives Nagpur')" shall be omitted;

(j) in Form XX, for the brackets, words and figures "[See rules 2(v) and 130 ]", the brackets, words and figures "[ See rules 2(vi) and 130 ]" shall be substituted;

(42) in the Third Schedule, in item number (5), after entry(6), the following entry shall be inserted, namely:-

"(7) The fee for testing and certification shall be as specified in Part B of the First Schedule".

[F. No. P-11021/01/2015-Dist (Pt.I)]

ASHUTOSH JINDAL, Jt. Secy. (M)

**Note :** The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number G.S.R. 204(E), dated the 13th March, 2002 and last amended *vide* notification number G.S.R.857(E), dated the 1st December, 2011.